

न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड(म.प्र.)

(समक्ष:-मोहम्मद अज़हर)

विविध व्यवहार अपील क.09/18प्रस्तुति दिनांक-08.02.17

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह आयु 39 वर्ष
2. चिरोँजा बाई पत्नी सुजान सिंह आयु 58 वर्ष
3. रामदुलारे सिंह पुत्र हरजन सिंह आयु 53 वर्ष
4. रामसिया पुत्र जगतसिंह आयु 34 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम किटी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अपीलार्थी / वादीविरुद्ध

1. हनुमन्त सिंह पुत्र सरनाम सिंह आयु 40 वर्ष
2. श्रीमती बंदना पुत्री हनुमन्त सिंह आयु 27 वर्ष
3. शिवसिंह पुत्र अपरवल सिंह आयु 58 वर्ष जाति राजपूत,
4. बलवीर सिंह पुत्र रामगोपाल,
5. अखलेश सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह आयु 40 वर्ष, समस्त निवासी ग्राम किटी तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण

अपीलार्थीगण द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी कं0-1 लगायत 03 अनु0, पूर्व से एकपक्षीय।

प्रत्यर्थी कं0-04 एवं 05 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

(आ दे श)

(आज दिनांक 25.01.18 को पारित)

1. यह विविध सिविल अपील न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 गोहद श्री पंकज शर्मा के विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 4/17 उनवान सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम हनुमन्त सिंह एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.17 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा आवेदक/वादी का आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 9 व्यवहार प्रक्रिया संहिता निरस्त करते हुए मूल व्यवहार वाद 83ए/15 उनवान सुरेन्द्र

सिंह एवं अन्य बनाम हनुमन्त सिंह एवं अन्य को पुनः सुनवाई पर नहीं लिया है।

2. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष का मामला यह रहा है कि आवेदकगण सुरेन्द्र सिंह एवं अन्य की ओर से अनावेदक/प्रतिवादीगण के विरुद्ध मूल व्यवहार वाद क्रमांक 83ए/15 प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 19.12.16 को प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत था। उक्त दिनांक को वादीगण एवं उसकी साक्ष्य अनुपस्थित थी। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त वाद को वादीगण एवं उनकी साक्ष्य की अनुपस्थिति के कारण आदेश 17 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत निरस्त किए जाने का आदेश किया। उक्त आदेश दिनांक 19.12.16 से व्यथित होकर आवेदक/वादीगण के द्वारा आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 9 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह आधार लिया गया कि आवेदक/वादीगण की बुआ कैलाशी कैंसर से पीड़ित होने तथा बीमार होने के कारण तारीख पेशी के पूर्व अपनी बुआ को देखने के लिए चले गए थे और अपने अभिभाषक को सूचना देने में असमर्थ थे। उक्त आधारों पर उक्त मूल व्यवहार वाद को पुनः सुनवाई में लेने की प्रार्थना की गई।

3. विचारण न्यायालय के द्वारा बिना प्रत्यर्थी/अनावेदकगण को तलब किए आवेदकगण को सुने जाने के पश्चात यह मान्य किया गया कि आदेश 17 नियम 3 जा0दी0 के अधीन वाद निरस्त कर दिए जाने की दशा में वादी को केवल अपील प्रस्तुत करने का उपचार उपलब्ध होता है, उसका आवेदन वाद को पुनः स्थापित करने के लिए प्रचलनशील नहीं है। यह मान्य करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध यह विविध सिविल अपील प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी/वादीगण की ओर से अपने अपील मेमो तथा अंतिम तर्क में यह आधार लिए हैं कि दिनांक 19.12.16 को अपीलार्थीगण की बुआ कैंसर से पीड़ित होने तथा बीमार होने के कारण अपीलार्थीगण उन्हें देखने चले गए थे। उसके अनुपस्थिति मजबूरीवश थी और अनुपस्थिति का कारण

सद्भावी है। विचारण न्यायालय के द्वारा कोई साक्ष्य न लेकर मात्र तर्क श्रवण कर आवेदन निरस्त कर दिया है। उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.17 विधि विधान व कानूनी सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.17 अपास्त करते हुए, आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 जा0दी0 स्वीकार करते हुए मूल व्यवहार वाद को पुनः सुनवाई पर लिए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. जबकि प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। अपील निरस्त करते हुए आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.17 की पुष्टि किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से इस विविध अपील के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार है:-

क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 04/17 में पारित आदेश दिनांक 24.01.17 स्थिर रखे जाने योग्य है या उसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार है ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

7. मूल व्यवहार वाद क्रमांक 83ए/15 की आदेश पत्रिका दिनांक 19.12.16 की प्रति का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि वादी और उसके साक्षियों की अनुपस्थिति के कारण आदेश 17 नियम 3 जा0दी0 के तहत वाद निरस्त किए जाने का निष्कर्ष दिया गया है। आदेश 17 नियम 02 में यह प्रावधान है कि वाद की सुनवाई जिस दिन के लिए स्थगित हुई है यदि उस दिन पक्षकार या उनमें से कोई उपसंजात होने में असफल रहता है तो न्यायालय आदेश 9 के द्वारा उसके निमित्त निदिष्ट ढंगों में से एक से वाद का निपटारा करने के लिए अग्रसर हो सकेगा या "ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।"

8. आदेश 17 नियम 3 के अनुसार जहां वाद का कोई पक्षकार जिसे समय अनुदत्त किया गया है, अपनी साक्ष्य पेश करने या अपने साक्षियों को हाजिर करने या वाद की आगे प्रगति के लिए आवश्यक कोई ऐसे अन्य कार्य करने में जिसके लिए समय अनुज्ञात किया गया है, असफल रहता है, वहां न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम के होते हुए भी,—

(क) यदि पक्षकार उपस्थित हो तो वाद को तत्क्षण विनिश्चय करने के लिए अग्रसर हो सकेगा, अथवा

(ख) यदि पक्षकार या उनमें से कोई अनुपस्थित हो तो नियम 02 के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।

9. प्रस्तुत इस मामले में दिनांक 19.12.16 को वादीगण और उसकी साक्ष्य अनुपस्थित थी अर्थात वादीगण अनुपस्थित थे। तब ऐसी स्थिति में आदेश 17 नियम 02 के तहत कार्यवाही की जानी थी अर्थात या तो आदेश 09 के तहत अदम पैरवी में वाद निरस्त होना था या ऐसा आदेश होना था जो न्यायालय ठीक समझे।

10. आदेश जो न्यायालय ठीक समझे का आशय यह भी है कि न्यायालय उस वाद को साक्ष्य के अभाव में खारिज कर सकता है। परंतु साक्ष्य अभाव में खारिजी के लिए निर्णय का लिखा जाना और निर्णय घोषित किया जाना तथा डिक्री तैयार किया जाना आवश्यक था। अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि प्रथम से पृष्ठों पर कोई निर्णय विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न तो लिखा गया है और न घोषित किया गया है एवं डिक्री भी तैयार नहीं की गई है। अतः ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर यह मान्य किया जाना चाहिए कि वाद आदेश 09 के तहत ही निरस्त किया गया है अर्थात वादीगण की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया गया है। जिसके लिए वाद को पुनः नंबर पर लिए जाने और पुनः सुनवाई करने का आवेदन पोषणीय हो जाता है अर्थात आदेश 09 नियम 09 के तहत पक्षकार आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

11. जिसके संबंध में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय को विधिअनुसार कार्यवाही कर अग्रसर होना चाहिए था और उक्त आवेदन का गुणदोषों पर

निराकरण करना चाहिए था। परंतु विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उस आवेदन का गुणदोषों पर निराकरण न करते हुए और उक्त आवेदन को पोषणीय न होना मान्य करते हुए आदेश किए जाने में वैधानिक त्रुटि कारित की है। इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.17 वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट होता है। इस प्रकार विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.17 हस्तक्षेप किए जाने योग्य है।

12. इस कारण इस मामले को उक्त आवेदन पर गुणदोषों पर विचार करते हुए विधिअनुसार आदेश किए जाने हेतु विचारण/अधीनस्थ न्यायालय की ओर प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. अतः यह विविध सिविल अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.17 अपास्त किया जाता है। यह मामला अपीलार्थी/वादी के आवेदन अंतर्गत आदेश 09 नियम 09 जा0दी0 का निराकरण गुणदोषों के आधार पर किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय उक्त आवेदन का निराकरण गुण दोषों के आधार पर करे।

14. उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.02.18 को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपस्थित रहें।

15. इस अपील का व्यय उभयपक्ष अपना-अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 500/-रुपए लगाया जावे।

16. इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के दोनों मूल अभिलेख वापस किए जावें।

आदेश न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड